Knowledgeable Research (An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal) **ISSN 2583-6633**
Available Online: http://knowledgeableresearch.com Vol.04, No.09, September,2025

भारतीय संघीय ढाँचा में जम्मू-कष्मीर और अनुच्छेद 370 का अन्त

*डा. पवन कुमार गुप्ता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) विधि
एवं
डा. अमित कुमार यादव (असिस्टेन्ट प्रोफेसर) राजनीति विज्ञान
स्वामी शुकदेवानन्द ला कालेज, शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

****

सारांष: जम्मू-कश्मीर राज्य (वर्तमान जम्मू-कष्मीर एवं लद्दाख संघ शासित क्षेत्र) भारतीय इतिहास एवं राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डोगरा राजाओं द्वारा शासित यह रियासत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की उन पाँच रियासतों में से थी जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार देशी रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान में अधिमिलन के लिए स्वतंत्र थे। उस समय महाराजा हरि सिंह का शासन था, जो देश की आजादी तक अपनी रियासत के विलय के बारे में कोई फैसला नहीं कर पाये थे। तत्पश्चात् पाकिस्तान के राज्य पर हमले एवं बदली हुई परिस्थिति में 26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रियासत का भारत में विलय किया। अतः भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को भाग 21 में शामिल किया गया, जिसका शीर्षक ही 'अस्थायी तथा अन्तःकालीन उपबन्ध' था। 17 अक्टूबर, 1947 को कश्मीर मामले को देख रहे गोपालास्वामी आयंगर ने संविधान सभा में अनुच्छेद 306(ए) प्रस्तुत किया जो अनुच्छेद 370 के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित हुआ। संविधान लागू होने के लगभग 70 वर्ष उपरान्त न केवल अनुच्छेद 370 का अन्त हो चुका है बल्कि पूर्ण राज्य से दो संघ शासित राज्यों में विभाजन हो चुके है।

कीवर्ड: जम्मू-कष्मीर, लद्दाख, अनुच्छेद 370, भारत, संविधान, संघ, व्यवस्था आदि।

****

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की विविधता और विशालता को देखते हुए भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की है. यद्यपि संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का प्रयोग न होकर संविधान का पहला ही अनुच्छेद घोषित करता है, 'भारत, जो कि इण्डिया है, राज्यों का संघ होगा'। संविधान द्वारा संघ एवं इसकी इकाईयों प्रान्तों में तीन सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, कतिपय संविधान संशोधनों में राज्यों की सहमति की आवश्यकता, न्याय पालिका की स्वतंत्रता आदि ऐसे तत्त्व है, जिनके आधार पर भारत को संघीय व्यवस्था कहा जा सकता है। यद्यपि राज्यपालों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति व पदमुक्ति, कुछ विषयों में विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता, शक्तियों का संघ सरकार की ओर झुकाव, राज्य सूची के विषयों में विधि बनाने की संसद की शक्ति, आपात उपबन्ध तथा नये राज्यों के निर्माण में संसद की शक्ति आदि के आधार पर अनेक विद्वान विशेषतः प्रो. के.सी. व्हीयर व आइवर जेनिंग्स इसे पूर्णतया संघीय व्यवस्था नहीं मानते है। व्हीयर के अनुसार, ''भारतीय संविधान ज्यादा से ज्यादा अर्द्धसंघ है''।1 वहीं, जेनिंग्स का मानना है कि ''यह एक ऐसा संघ है, जिसमें केन्द्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है''।2 एस. आर. बोम्बई बनाम भारत संघ के 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है और इसमें संघीय संविधान का आधारभूत ढाँचा विद्यमान है। भारतीय संविधान किस तरह से शक्तियों का विभाजन करता है, उस पर दृष्टि डालना आवश्यक है- ''अनुच्छेद 245 के अनुसार ष्इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए संसद भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी और किसी राज्य का विधान मण्डल सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा''।3

अनुच्छेद 246 के अनुसार, ''संसद को सातवी अनुसूची की पहली सूची, जिसे संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रमाणित किसी भी विषय पर विधि बनाने की अनन्य शक्ति है। संसद को और राज्य विधान मण्डल को समवर्ती सूची पर विधि बनाने की शक्ति है तथा किसी राज्य विधान मण्डल को राज्य सूची में प्रमाणित किसी विषय में विधि बनाने की शक्ति है''।4 अनुच्छेद 248 के अनुसार, ''संसद को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में प्रमाणित नहीं है, विधि बनाने की अनन्य शक्ति है''।5 संविधान के अनुच्छेद 249 में वर्णन है कि राज्य सूची के किसी विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। इसी तरह अनुच्छेद 256 से 263 में प्रशासनिक सम्बन्धों का तथा अनुच्छेद 264 से 300 तक में वित्त, सम्पत्ति आदि के प्रावधान है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में राष्ट्रपति को आपातकालीन अधिकार प्राप्त है, जो राज्यों पर भी लागू होते है।

जम्मू कष्मीर एवं भारतीय संघः-

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय पूर्ण व अन्तिम है, ये सारी बाते करने के बावजूद वास्तविक स्थिति लम्बे समय तक अलग रही है। संविधान का भाग 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान है। लेकिन इसका प्रारम्भ ही अनुच्छेद 152 से होता है, जिसमें लिखा है, ''इस भाग में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, श्राज्यश् पद के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है''6- अर्थात् राज्य प्रशासन के बारे में भारतीय संविधान के प्रावधान वहाँ पर लागू नहीं होते अपितु जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना संविधान है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार का संचालन होता है। धारा 370 के द्वारा प्रदत्त विशेष स्थिति के कारण लम्बे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री, राज्यपाल को सदर-ए-रियासत नाम से जाना जाता था। संघीय व्यवस्था के प्रावधानों के विपरीत वहाँ प्रारम्भ में निर्वाचित सदर-ए-रियासत की व्यवस्था थी। काफी समय तक जम्मू-कश्मीर राज्य का अपना अलग ध्वज रहा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्राधिकार से जम्मू-कश्मीर बाहर था। इसी तरह भारत के निर्वाचन आयोग व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के अधिकार क्षेत्र से भी राज्य बाहर रहा। धीरे-धीरे यह सारे प्रावधान तो हटा दिये गये लेकिन अब भी अनेक ऐसी व्यवस्थाएँ है जो संघीय व्यवस्था के अनुकूल नहीं है।

भारतीय संविधान के करीब 130 अनुच्छेद राज्य पर लागू ही नहीं होते है, जबकि 100 अन्य ऐसे है, जिनमें परिवर्तन कर लागू किया गया है। भारत की एकता व अखण्डता की रक्षा संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल है तथा संविधान का आधारभूत दर्शन है लेकिन प्रस्तावना का अखण्डता शब्द जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता है। संविधान का अनुच्छेद 3 नये राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नामों में परिवर्तन का अधिकार संसद को प्रदान करता है लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए ऐसा कोई विधेयक राज्य विधान मण्डल की सहमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल है। भारतीय संविधान 'विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ' की स्थापना करता है, जिसके अनुसार संसद को बिना प्रभावित राज्यों की सहमति के उनके नाम सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार है लेकिन जम्मू-कश्मीर के सन्दर्भ में संघीय व्यवस्था श्अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघश् में रूपान्तरित हो जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ संसद की बजाय राज्य विधान मण्डल में निहित है। अनुच्छेद 254 के अनुसार संसद एवं राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि में असंगतता की स्थिति में संसद की बनाई विधि प्रभावी रहेगी लेकिन जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य विधान मण्डल की विधि प्रभावी होगी। इसी प्रकार अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। लेकिन ''जम्मू-कश्मीर में लम्बे समय तक राष्ट्रपति शासन की बजाय 'राज्यपाल शासन' का प्रावधान था तथा संवैधानिक तंत्र की विफलता का अर्थ जम्मू-कश्मीर राज्य के संविधान की विफलता है। बाद में राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया लेकिन अब भी 'राज्यपाल शासन' के उपरान्त ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है''।7 संविधान के अनुच्छेद

360 के अनुसार, ''यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व या प्रत्ययय संकट में है तो वह उद्घोषणा द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा कर सकेगा''।8 लेकिन जम्मू-कश्मीर राज्य में वित्तीय आपात लागू नहीं होता है।

इसी तरह संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है, जिसके द्वारा किये गये संशोधन पूरे देश में प्रभावी होंगे। लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा कोई संविधान संशोधन तभी लागू होगा जब इसके लिए राष्ट्रपति आदेश जारी करे। इसी तरह राज्यों को प्राप्त होने वाले सहायता अनुदान, करों से प्राप्त राजस्व बटवारे आदि के बारे में भी अन्य राज्यों के विपरीत जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है। अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य सेवा के पदाधिकारियों के अनुपात में भी जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान है। शासन के विकेन्द्रीकरण से संबंधित 73वें व 74वें संविधान संशोधन भी राज्य में लागू नहीं हुए है। इसी तरह एक देश एक कर एवं एक बाजार को स्थापित करने के उद्देश्य से लाये जीएसटी से भी जम्मू-कश्मीर ने प्रारम्भ में अपने आपको अलग रखा था। लेकिन आर्थिक रूप से नुकसान की आशंका पर बाद में वह शामिल हो गया। इसी तरह राज्य में भारतीय दण्ड संहिता के स्थान पर रणवीर पैनल कोड लागू है। भारत का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम पूरी तरह से राज्य पर लागू नहीं है। इस कारण पूरे देश में लोकसभा क्षेत्रों का 2002 में परिसीमन हुआ लेकिन जम्मू-कश्मीर में यह नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में जम्मू व लद्दाख को विधान सभा व लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो सका है। जम्मू का क्षेत्रफल व वोटर अधिक होने के बावजूद कश्मीर घाटी से लोक सभा व विधान सभा में प्रतिनिधित्व कम है. इससे क्षेत्रीय असंतुलन एवं आक्रोश पैदा होता है। पूरे देश से विपरीत जम्मू-कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष की बजाय छः वर्ष है। इसी प्रकार जम्मू-कश्मीर राज्य में अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग आदि के आरक्षण के प्रावधान भी पूरी तरह लागू नहीं हो पाये है।9

अमेरिकी संघीय व्यवस्था के विपरीत भारतीय संघ एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। परन्तु जम्मू-कश्मीर के लिए दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है जो अत्यन्त विभेदकारी है। राष्ट्रपति ने वर्ष 1954 में अनुच्छेद 370 की क्लॉज-1 के सब-सेक्शन 1 की शक्ति से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35(ए) जोड़ दिया जो जम्मू-कश्मीर की विधान सभा को स्थाई नागरिकता की परिभाषा निर्धारित करने की शक्ति देता है। क्या भारत का राष्ट्रपति बिना अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के संविधान में कोई नई धारा जोड़ सकता है? क्या अनुच्छेद **370** राष्ट्रपति को कोई विशेष विधायी शक्ति सौंपता है? वास्तव में यह संसद की विधायी शक्ति का अतिक्रमण था। अपने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राज्य विधान सभा ने निश्चित किया कि राज्य के संविधान के लागू होने की तिथि से दस वर्ष पूर्व से राज्य में रह रहे नागरिक ही स्थाई निवासी माने जाएँगे। इस आधार पर 1944 से पूर्व यहाँ रहने वालों को ही नागरिकता के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इस कारण से शेष भारत के निवासी न तो वहाँ स्थाई रूप से रह सकते है, न ही सम्पत्ति खरीद सकते है और न ही मत देने का अधिकार रखते है।10 यहाँ तक कि 1947 में पाकिस्तान से आये शरणार्थी भी नागरिकता के मूल अधिकार से वंचित है।

वास्तव में अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को ऐसी स्थिति प्रदान करता था, जहाँ उसकी इच्छा पर संघ सरकार के कानून प्रभावी होते है। यदि राज्यों पर संघ अपनी इच्छाएँ थौंपता है तो वह संघीय व्यवस्था के प्रतिकूल माना जाएगा परन्तु यदि संघ सरकार के कानून और आदेश राज्यों की दया पर निर्भर हो जाए तो यह देश की एकता व अखण्डता के लिए गम्भीर चुनौती है। यही वजह है कि अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर की पूरे भारत के साथ सहज एकात्मता समाप्त हो गई थी। घाटी का माहौल ऐसा बना दिया कि जहाँ देश का कोई नागरिक अपने आपको बाहरी समझने लगता है। इस स्थिति में देश के साथ राज्य का न केवल भावनात्मक एकीकरण बाधित हुआ अपितु राज्य का विकास भी प्रभावित हो रहा था।

अनुच्छेद 370 का समापनः-

जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य विधान सभा की सभी शक्तियाँ संसद में निहित थी। 5 अगस्त, 2019 को प्रातः राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 370

(1) के अंतर्गत पारित अपने आदेश (संख्या **272)** द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद **367** में एक उपखंड (4) जोड़ते हुए उसकी परिभाषा निम्न प्रकार से की है-

1. जम्मू कश्मीर राज्य में सदरे रियासत से तात्पर्य राज्यपाल होगा।

2. राज्य सरकार का तात्पर्य जम्मू कश्मीर का राज्यपाल भी होगा।

3. अनुच्छेद 370 (3) के परन्तुक में संदर्भित राज्य की संविधान सभा से तात्पर्य राज्य की विधान सभा होगी।

राष्ट्रपति के आदेषानुसार गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वाह्न 11 बजे राज्य सभा में एक संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि ‘‘भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 370 (1) के साथ पठित खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेशित करते हैं कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड सिवा निम्नांकित के जो नीचे दिए गए अनुसार है प्रचलन में नहीं रहेंगे।’’ राज्य सभा ने उसी दिन यह संकल्प सर्वसम्मति से पारित कर दिया। पुनः उसी दिन राष्ट्रपति ने अपने आदेश संख्या 273 द्वारा लोक अधिसूचना निर्गत की कि- ‘‘भारतीय संसद की अनुशंसा पर भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 370 (3), 370 (1) के साथ पठित के अंतर्गत घोषणा करते हैं कि 6 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 निम्नांकित अपवादों को छोड़कर अक्रियाशील हो जाएगा। अनुच्छेद 370 इस संविधान के समय-समय पर यथा संशोधित सभी उपबंध बिना किसी उपांतरणों या अपवादों के अनुच्छेद 152 या अनुच्छेद 308 या संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद या जम्मू कश्मीर संविधान के प्रावधानों या अन्य उपबंध या किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, नियम, विनिमय, अधिसूचना या भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाले किसी रुढ़ि या प्रथा या किसी अन्य लिखित संधि या करार जो अनुच्छेद 363 के अंतर्गत हुए हैं में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी जम्मू कश्मीर राज्य में लागू होंगे।

जैसा कि स्वाभाविक था अनुच्छेद 370 के संबंध में पारित राष्ट्रपति के आदेश संख्या 272 एवं 273 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस आदेश को असंवैधानिक करार कर देने हेतु लगभग 20 याचिकाएं दायर की गई। याचिकाकर्ताओं में कई राजनेता एवं संस्थाएं जैसे अब्दुल गनी लोन, जम्मू-कश्मीर बार एसोसिएसन आदि शामिल थी। चार साल बाद अगस्त 2023 में उच्चतम न्यायालय एक पाँच सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, जफर शाह जैसे अधिवक्ता थे। वहीं भारत सरकार तथा हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल करने वाले की ओर से हरीश साल्वे, तुषार मेहता, महेश जेठमलानी जैसे अधिवक्ता थे। याचिकाकर्ताओं एवं दूसरे पक्ष की ओर से हजारों पृष्ठों के दस्तावेज दायर किए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से कुल मिलाकर 60 घंटे तक अपना पक्ष रखा गया। भारत सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए तर्क दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में प्रावधान किया गया है कि ‘भारत राज्यों का संघ होगा।’ इन राज्यों की सूची संविधान की अनुसूची 1 में दी गई जिसके क्रमांक 15 पर जम्मू कश्मीर राज्य है। अनुच्छेद 1 एवं अनुसूची 1 के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ की इकाई है और भारतीय भू-भाग है। यह भारत का अभिन्न अंग है। जहाँ तक संप्रभुता का प्रश्न है यह विशिष्ट रूप से भारत संघ में निहित है। 16 दिनों तक दोनों पक्षों को सुनने के बाद 5 सितम्बर 2023 को माननीय उच्चतम न्ययायालय ने अपने निर्णय सुरक्षित रख लिया।

11 दिसम्बर 2023 को माननीय उच्चतम न्ययायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने अपने सर्वसम्मत निर्णय में कहा कि राष्ट्रपति द्वारा 6 अगस्त 2019 को निर्गत संवैधानिक आदेश संख्या 273 जिसके द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 द्वारा किए गए विशेष प्रावधानों को समाप्त कर वहाँ अन्य राज्यों की ही भांति भारतीय संविधान के सभी प्रावधान बिना किसी अपवाद या उपांतरण के लागू कर दिया गया है, वह संविधान समाप्त है। उच्चतम न्यायालय ने माना कि राष्ट्रपति के संवैधानिक आदेश संख्या 272 दिनांक 6 अगस्त 2019 द्वारा अनुच्छेद 367 में किया गया संशोधन ‘संविधान सभा’ के स्थान पर ‘राज्य की विधान सभा’ संविधान के विरुद्ध है लेकिन यह आदेश संख्या 273 को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि अनुच्छेद 370 के खंड के प्रावधान में वर्णित जम्मू कश्मीर के संविधान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता उस संविधान सभा के विघटन के साथ ही प्रभावहीन हो चुकी है। 6 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 (3) के अंतर्गत राष्ट्रपति को असीमित अधिकार प्राप्त है।11 इस

प्रकार भारतीय संविधान का सर्वाधिक विवादास्पद अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष अस्थाई प्रावधान इतिहास बन गए तथा अनुच्छेद 35अ के प्रावधान स्वतः समाप्त हो गए।

निष्कर्ष:-

अनुच्छेद 370 को समाप्त करने से जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया, जिससे यह पूरी तरह से भारतीय कानूनों के अधीन आ गया और राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने से जहाँ सकारात्मक परिणाम के रूप में- जम्मू और कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो गया है, जिससे उसका अपना संविधान और विशेषाधिकार समाप्त हो गए। भारत का संविधान अब जम्मू और कश्मीर पर पूरी तरह से लागू होता है। राज्य को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नामक दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है। और क्षेत्र में निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास में वृद्धि हुई है। साथ ही बुनियादी ढाँचे का भी विकास हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत की अखंडता और एकता मजबूत हुई है, पंचायत चुनावों और जिला विकास परिषद (डीडीसी) चुनावों में भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं, युवाओं और पिछड़े समुदायों को सुरक्षा, सम्मान और अवसर मिले हैं, जो पहले वंचित थे तथा जम्मू और कश्मीर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। वहीं दूसरी तरफ अनेकानेक चुनौतियाँ भी हैं, जैसे- अनुच्छेद 370 के समापन के बाद लॉकडाउन और संचार ब्लैकआउट जैसे उपाय किए गए, जिससे लोगों की स्वतंत्रता प्रभावित हुई, कुछ लोगों को चिंता थी कि इस कदम से कश्मीरियों की पहचान और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी, यह कदम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद और भारत-पाकिस्तान तनाव को बढ़ा सकता है।

सन्दर्भ:-

1. व्हीयर, इण्डियाज न्यू कान्स्टीट्यूशन एनालाइज्ड, पृ. 25।
2.जेनिंग्स, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इण्डियन कान्स्टीट्यूशन, पृ. 55।
3.भारत का संविधान, पृ. 100।
4.तत्रैव, पृ. 100।
5.तत्रैव, पृ. 100।
6.भारत का संविधान, पृ. 52।
7.भारत का संविधान, पृ. 148।
8.जे.एस. मीना, भारतीय राजनीति एवं केन्द्र राज्य संघ, पृ. 26।
9.जम्मू-कश्मीर तथ्य परक विश्लेषण, आशुतोष, पृ. 70।
10.तत्रैव, पृ. 70, 71।
11.विष्वमोहन, कश्मीर अनुच्छेद 370 क्यों आया? कहाँ गया? पृ. 141।

*Corresponding Author: Dr. Pawan Kumar Gupta
E-mail: pkguptaballia@gmail.com
Received: 04 August,2025; Accepted: 20 September,2025. Available online: 28 September, 2025
Published by SAFE. (Society for Academic Facilitation and Extension)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 4.0 International License